

हरियाणा सिविल सेवायें (यात्रा भत्ता), नियम, 2016 के चैप्टर -7 के क्र०सं०-51 के अन्तर्गत मुझे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कार्यक्षेत्र से बाहर यात्रा करने की संस्वीकृति प्रदान करता/करती हूँ :-

Dated	From	To	Purpose
14-01-2019	जगाधरी	पंचकुला	उपश्रम आयुक्त पंचकुला के कार्यालय में होने वाले मासिक बैठक में जाने बारे।
14-01-2019	पंचकुला	जगाधरी	वापसी
07-02-2019	जगाधरी	गुरुग्राम	श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन बारे।
08-02-2019	गुरुग्राम	जगाधरी	वापसी
14-02-2019	जगाधरी	चण्डीगढ	पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ में केस फाईल ले जाना।
14-02-2019	चण्डीगढ	जगाधरी	वापसी

दिनांक :10.05.2019

मोनिका मलिक
अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा०)
श्रम विभाग, हरियाणा।

पृ० क्रमांक: स्था०/०२/२०१९/१५५३-५६

दिनांक: २०-५-१९

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

1. खजाना अधिकारी, यमुनानगर।
2. श्री तेजबीर श्रम निरीक्षक-4, यमुनानगर, का० सहायक श्रम आयुक्त-2, यमुनानगर।
3. सहायक श्रम आयुक्त-2, यमुनानगर
4. कर्मचारी की निजी फाईल।


अधीक्षक (स्था०)

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।